<u>न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 71/10 (वाद)

1. श्री कजोड पिता केरिंग जाति डांगी मृतक के बजाय

1/1 मु. कनीबाई बेवा कजोड जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2 मु. मागुडी बेवा कजोड जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3 श्री शंकर लाल पिता कजोड जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्री हजारी पिता भेरा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री अमरा पिता चतरा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री धुला पिता चतरा जाति डांगी मृतक के बजाय

4/1 श्री भगा पिता चतरा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/2 श्री भूरालाल पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/3 श्री दुदा पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/4 श्री उंकार लाल पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/5 श्री ताराचन्द पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. श्री नाथू पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री लालु पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्री मोहन पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री पप्पु पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. मु. केसी बेवा तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय चितौडगढ (राज.)
4. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग उपखण्ड, भोपालसागर, जिला चितौडगढ (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 30.01.2019

1. वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 पेश कर निवेदन किया कि मौजा आकोदडा, तहसील मावली में आराजी नम्बर 114 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज है।
2. यह कि आराजी नम्बर 114 के साबिक आराजी नम्बर 564 रकबा 9 बीघा होकर राजस्व रेकार्ड में वादीगणों के मौरूस श्री परथा पिता रतना का 1/4 हिस्सा, गांगा पिता भेरा का 1/4 हिस्सा, केरिंग, चतरा पिता वरदा का 1/4 हिस्सा व हीरा पिता माना का 1/4 हिस्सा दर्ज थी।
3. यह कि वादीगण का सजरा खानदान निम्नलिखित प्रकार हैः—

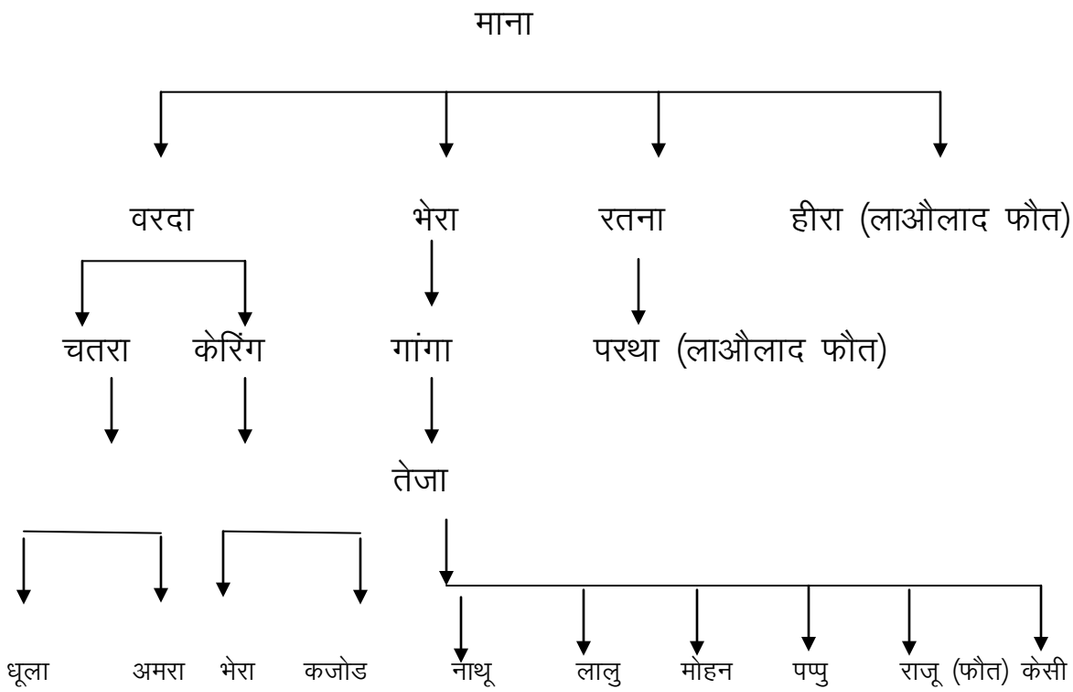

उक्त सजरे में बताये गये माना, वरदा, भेरा, रतना, हीरा, चतरा, केरिंग, गांगा, परथा, भेरा, तेजा, राजू की मृत्यु हो चुकी है।

4. कि उक्त आराजीयात् वादीगण के सहखातेदारी एवं आधिपत्य की है, जिसमें वादीगण नम्बर 1, 2, 3, 4 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 5, 6, 7, 8 व 9 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा है व इसी हिस्से अनुसार कब्जा होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।
5. कि उक्त आराजीयात् बिना किसी आधार के सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दी है जबकि सिंचाई विभाग का इस भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है तथा राजस्व कर्मचारियों को वादीगण के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि को बिना आधार के सिंचाई विभाग के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। इस गलत इन्द्राज होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पड रहा है तथा वादीगण को उक्त आराजी को उपजाउ बनाने के लिए लोन आदि लेने में भारी असुविधा हो रही है ऐसी अवस्था में सिंचाई विभाग के नाम से हटाकर उक्त कलम नम्बर 4 में बताये हिस्से अनुसार वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है।
6. कि उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार मावली व पटवारी हल्का को कई बार कहा, लेकिन वे कहते रहे कि कानूनी कार्यवाही कराकर खाते करावें, जिस पर वादीगण ने अपने अधिवक्ता के जरिये तारीख 11.12.2009 को धारा 80 जा.दी. का रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रतिवादीगण को

दिलाया, फिर भी प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नहीं की है, न नोटिस का कोई जवाब ही दिया।

7. कि उक्त आराजीयात् सिंचाई विभाग के नाम दर्ज होने से सिंचाई विभाग के कर्मचारी वादीगण को धमकी दे रहे हैं कि उक्त आराजीयात् से कब्जा हटाओं, अतः वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराना आवश्यक हो गया है, वरना प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर देंगे, जिससे वादीगण को बडा नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

8. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिंक्री प्रदान कराई जावें – (क) कि वादीगण को वाद की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजी का वाद की कलम नम्बर 4 में बताये हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें व तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादी के कब्जे काश्त की वाद की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजीयात् से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, न वादीगण के कब्जे में कोई हस्तक्षेप ही करें, न दखलन्दाजी करें। वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें तथा ऐसा प्रतिवादीगण अपने नौकर एजेन्ट से भी नही करावें।

9. इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि वादीगण के आधिपत्य में नही है। आराजी नम्बर 114 पर प्रतिवादी सिंचाई विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में गत 45 वर्षों से अंकित है। सिंचाई विभाग के आधिपत्य में है। वादीगण विवादित भूमि के टिनेन्ट ही नही है तथा न ही धारा 63 के तहत वादीगण का टिनेन्सी राईट ही रहा है।

10. यह कि विवादित भूमि प्रतिवादी सिंचाई विभाग के आधिपत्य में गत 50 वर्षों से चली आ रही है तथा विवादित भूमि को सुरक्षित रख रखी है तथा आपातकाल में उसकी मिट्टी बांध की सुरक्षा के लिये काम में ली जा सके। उक्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य नही होने से न तो घोषणा के अधिकारी है और न ही निषेधाज्ञा ही जारी की जा सकती है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

11. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया विवादाग्रस्त आराजी नम्बर 114 साबिक आराजी नम्बर 564 रकबा 9 बीघा वादीगणों के मौरूस परथा पिता रतना का 1/4 हिस्सा, गांगा पिता भेरा का 1/4 हिस्सा केरिंग, चतरा पिता वरदा का 1/4 हिस्सा, हीरा पिता माना का 1/4 हिस्सा दर्ज थी। ..... वादीगण
2. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् का वादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 5 से 9 का प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा है व उक्त हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है।
..... वादीगण
3. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् सिंचाई विभाग के नाम बिना आधार के दर्ज कर दी है जबकी उक्त आराजीयात् में सिचाई विभाग का कोई हक व अधिकार नही है। ..... वादीगण
4. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् से प्रतिवादी सिंचाई विभाग के नाम गलत दर्ज होने से विवादाग्रस्त आराजी वादीगणों के मौरूसी होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ..... वादीगण
5. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् विगत 50 वर्षों से प्रतिवादी सिंचाई विभाग के नाम दर्ज इसलिये वादीगणों का उक्त आराजीयात् में कोई हक व अधिकार नही है। ..... प्रतिवादीगण
6. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् को सुरक्षित रख रखी है क्योंकि आपातकाल में मिट्टी बांध के सुरक्षा के लिए काम मे ली जा सके। ..... प्रतिवादीगण

12. प्रकरण में वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 1, खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2016–19 प्रदर्श 3, जमाबन्दी महक्मा बन्दोवस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड सम्वत् 1998 प्रदर्श 4, नोटिस की प्रति प्रदर्श 5, डाक रसीद प्रदर्श 6, 7 व 8, प्राप्ति स्वीकृति प्रदर्श 9 से 11, जमाबन्दी सम्वत् 2012 सं 2015 की नकल पेश है जो प्रदर्श 12 पेश किया।

13. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 1 श्री कजोड पिता केरिंग जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर एवं पी. डब्ल्यू. 2 श्री अमरा पिता चतरा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर पेश किया। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डी.डब्ल्यू. 1 श्री जयदेव सिंह पिता गंगासिंह, सहायक अभियन्ता जल संसाधन भोपालसागर पेश किया।

14. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवाादी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश कर वादीगण का वाद खारीज किये जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। न्याय निर्णयन हेतु पत्रावली में तनकीयात कायम की गई है अतः तनकीवार निर्णय निम्न है :–

1. आया विवादाग्रस्त आराजी नम्बर 114 साबिक आराजी नम्बर 564 रकबा 9 बीघा वादीगणों के मौरूस परथा पिता रतना का 1/4 हिस्सा, गांगा पिता भेरा का 1/4 हिस्सा केरिंग, चतरा पिता वरदा का 1/4 हिस्सा, हीरा पिता माना का 1/4 हिस्सा दर्ज थी।

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद के सर्मथन में स्वंय का शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री कजोड पिता केरिंग जाति डांगी व पीडब्ल्यू 2 श्री अमरा पिता चतरा का पेश किया है। अपने वाद के समर्थन में वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 1, खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2016–19 प्रदर्श 3, जमाबन्दी महक्मा बन्दोवस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड सम्वत् 1998 प्रदर्श 4, नोटिस की प्रति प्रदर्श 5, डाक रसीद प्रदर्श 6, 7 व 8, प्राप्ति स्वीकृति प्रदर्श 9 से 11, जमाबन्दी सम्वत् 2012 सं 2015 जो प्रदर्श 12 प्रस्तुत किया है। जिनमें जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2016–19 प्रदर्श 3, जमाबन्दी महक्मा बन्दोवस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड सम्वत् 1998 प्रदर्श 4 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2012 सं 2015 की नकल पेश है जो प्रदर्श 12 में वाद में दर्शाये सजरा अनुसार पूर्व नम्बर 564 में काश्तकार के रूप में परथा वल्द रतना हिस्सा 1/4 वादी संख्या 5 से 9 के दादा गांगा वल्द भेरा का हिस्सा 1/4 वादी संख्या 3 के पिता तथा वादी 4/1 से 4/5 के दादा चतरा पिता वरदा तथा वादी संख्या 1 के पिता तथा वादी संख्या 2 के दादा केरिंग पिता वरदा का 1/4 हिस्सा, हीरा वल्द माना 1/4 हिस्सा दर्ज है। वरदा, भैरा, रतना और हीरा के पिता माना है। परथा एवं हीरा लाऔलाद फौत होना बताया है। खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 प्रदर्श 2 में कॉलम संख्या 23 नाम कृषक (गत भूमाप) तथा कॉलम संख्या 24 नाम कृषक (वर्तमान) में

सिंचाई विभाग दर्ज है तथा कॉलम संख्या 26 विशेष विवरण में तेजा वल्द गांगा, भेरा, कजोड पिता केरिंग, चतरा वल्द वरदा डांगी सा. तारावट ह्रि.ब. नाजायज कब्जा दर्ज है। कॉलम संख्या 1 एवं 11 से स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा नम्बर 114 गत साबिक नम्बर 564 मी. से बना है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सम्वत् 2019 तक वादपत्र में दर्शाये सजरे अनुसार वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज थी किन्तु खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से साबित होती है।

2. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् का वादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 5 से 9 का प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा है व उक्त हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है।

   उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में स्वंय का शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री कजोड पिता केरिंग जाति डांगी व पीडब्ल्यू 2 श्री अमरा पिता चतरा का पेश किया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदे इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का बादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही माना जा सकता है। वादीगण द्वारा दिनांक 04.03.16 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा.दी. प्रस्तुत कर कब्जे के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किया परन्तु उस पर भी दिनांक 01.12.17 को नोट प्रेस किया गया। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् सिंचाई विभाग के नाम बिना आधार के दर्ज कर दी है जबकी उक्त आराजीयात् में सिचाई विभाग का कोई हक व अधिकार नही है।

   उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम बिना आधार दर्ज की गई के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये, जबकि खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 प्रदर्श 2 में कॉलम संख्या 23 नाम कृषक (गत भूमाप) तथा कॉलम संख्या 24 नाम कृषक (वर्तमान) में सिंचाई विभाग दर्ज है तथा कॉलम संख्या 26 विशेष विवरण में तेजा वल्द गांगा, भेरा, कजोड पिता

केरिंग, चतरा वल्द वरदा डांगी सा. तारावट ह्रि.ब. नाजायज कब्जा दर्ज है। खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 की उक्त प्रविष्ठयों को तत्समय वादीगण के मौरूस द्वारा कोई प्रतिवाद किया गया हो का रेकार्ड वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् से प्रतिवादी सिंचाई विभाग के नाम गलत दर्ज होने से विवादाग्रस्त आराजी वादीगणों के मौरूसी होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1, 3, 4 से केवल यह जाहिर होता है कि सम्वत् 2019 तक वादग्रस्त आराजी वादीगण के मौरूस के नाम दर्ज थी जबकि खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 प्रदर्श 2 में कॉलम संख्या 23 नाम कृषक (गत भूमाप) तथा कॉलम संख्या 24 नाम कृषक (वर्तमान) में सिंचाई विभाग दर्ज है तथा कॉलम संख्या 26 विशेष विवरण में तेजा वल्द गांगा, भेरा, कजोड पिता केरिंग, चतरा वल्द वरदा डांगी सा. तारावट ह्रि.ब. नाजायज कब्जा दर्ज है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम बिना आधार दर्ज की गई के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 की उक्त प्रविष्ठयों को तत्समय वादीगण के मौरूस द्वारा कोई प्रतिवाद किया गया हो का रेकार्ड वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् विगत 50 वर्षों से प्रतिवादी सिंचाई विभाग के नाम दर्ज इसलिये वादीगणों का उक्त आराजीयात् में कोई हक व अधिकार नही है।

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने सर्मथन में शपथ पत्र डी.डब्ल्यू. 1 श्री जयदेव सिंह पिता गंगासिंह, सहायक अभियन्ता जल संसाधन भोपालसागर पेश किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 प्रदर्श 2 में कॉलम संख्या 23 नाम कृषक (गत भूमाप) तथा कॉलम संख्या 24 नाम कृषक (वर्तमान) में सिंचाई विभाग दर्ज है तथा कॉलम संख्या 26 विशेष विवरण में तेजा वल्द गांगा, भेरा, कजोड पिता केरिंग, चतरा वल्द वरदा डांगी सा.

तारावट हि.ब. नाजायज कब्जा दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 1 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सम्वत् 2022 से ही सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। इस प्रकार सिंचाई विभाग वादग्रस्त भूमि का लम्बे समय से खातेदार है। इस प्रकार उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

6. आया विवादाग्रस्त आराजीयात् को सुरक्षित रख रखी है क्योंकि आपातकाल में मिट्टी बांध के सुरक्षा के लिए काम मे ली जा सके।

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने सर्मथन में शपथ पत्र डी.डब्ल्यू. 1 श्री जयदेव सिंह पिता गंगासिंह, सहायक अभियन्ता जल संसाधन भोपालसागर पेश कर बताया कि विवादित भूमि को सुरक्षित रखा है तथा आपातकाल में उसकी मिट्टी बांध की सुरक्षा के लिये काम में ली जा सके। जिरह के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा इस पर कोई उजर नही किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित वर्तमान में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2064–67, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2016–19, जमाबन्दी महक्मा बन्दोवस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड सम्वत् 1998 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण के मौरूस के नाम दर्ज थी किन्तु खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 के कॉलम संख्या 23 नाम कृषक (गत भूमाप) तथा कॉलम संख्या 24 नाम कृषक (वर्तमान) में सिंचाई विभाग दर्ज है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज हो चुकी थी तथा खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 के कॉलम संख्या 26 के अंकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के मौरूस का नाजायज कब्जा था। वादग्रस्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम बिना आधार के दर्ज की गई हो इसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया ना ही इतने वर्षों में खातेदारी अधिकार हेतु कोई वाद वादीगण अथवा वादीगण के मौरूस द्वारा प्रस्तुत किया गया। खसरा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2022 की प्रविष्ठयों को तत्समय वादीगण के मौरूस द्वारा कोई प्रतिवाद किया गया हो का रेकार्ड वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होने का भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर
बईजलास दीपक मेहता, आर.ए.एस.

उनवान्

पत्रावली संख्या : 71/10 (वाद)

1. श्री कजोड पिता केरिंग जाति डांगी मृतक के बजाय

1/1 मु. कनीबाई बेवा कजोड जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2 मु. मागुडी बेवा कजोड जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

1/3 श्री शंकर लाल पिता कजोड जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्री हजारी पिता भेरा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री अमरा पिता चतरा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.
4. श्री धुला पिता चतरा जाति डांगी मृतक के बजाय

4/1 श्री भगा पिता चतरा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

4/2 श्री भूरालाल पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

4/3 श्री दुदा पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.

4/4 श्री उंकार लाल पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/5 श्री ताराचन्द पिता धुला जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

श्री नाथू पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. श्री लालु पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री मोहन पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री पप्पु पिता तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. मु. केसी बेवा तेजा जाति डांगी निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय चितौडगढ(राज.)
4. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग उपखण्ड, भोपालसागर, जिला चितौडगढ (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु दीपक मेहता R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2019 को जारी की गई।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली